भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 533
दिनांक 06.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत कवर किए गए परिवार

533. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत पेयजल की आपूर्ति के लिए पूर्णतः कवर किए जाने वाले घरों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है और आंशिक रूप से कवर किए गए घरों की संख्या में कमी आई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) लक्षित प्रगति दर की तुलना में इस धीमी वृद्धि के क्या कारण हैं; और
(घ) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जो घरों में पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ) गांवों में रहने वाले लोगों की अपने घरों में पाइपगत जल आपूर्ति करने की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अगस्त 2019 से, भारत सरकार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) को शामिल करने के बाद राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन लागू कर रही है।

अगस्त, 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिनांक 03.02.2025 तक दी गई सूचना के अनुसार, जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल के तहत लगभग 12.21 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, दिनांक 03.02.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.44 करोड़ (79.69%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। दिनांक 03.02.2025 तक नल जल कनेक्शन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

*****

दिनांक 06.02.2025 को उत्तर हेतु दिए जाने नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 533 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जेजेएम: दिनांक 03.02.2025 तक ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

संख्या लाख में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्रामीण परिवार	दिनांक 15.8.2019 की स्थिति के अनुसार नल जल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार		दिनांक 15.8.2019 से नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए ग्रामीण परिवार		अब तक, नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार	
			संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.62	0.29	46.02	0.33	53.98	0.62	100.00
2	अरुणाचल प्रदेश	2.29	0.23	9.97	2.06	90.03	2.29	100.00
3	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	0.85	0.00	0.00	0.85	100.00	0.85	100.00
4	गोवा	2.64	1.99	75.44	0.65	24.56	2.64	100.00
5	गुजरात	91.18	65.16	71.46	26.02	28.54	91.18	100.00
6	हरियाणा	30.41	17.66	58.08	12.75	41.92	30.41	100.00
7	हिमाचल प्रदेश	17.09	7.63	44.64	9.46	55.36	17.09	100.00
8	मिजोरम	1.33	0.09	6.91	1.24	93.09	1.33	100.00
9	पुदुचेरी	1.15	0.94	81.33	0.21	18.67	1.15	100.00
10	पंजाब	34.27	16.79	48.98	17.48	51.02	34.27	100.00
11	तेलंगाना	53.98	15.68	29.05	38.30	70.95	53.98	100.00
12	उत्तराखंड	14.51	1.30	8.98	12.80	88.25	14.11	97.24
13	लद्दाख	0.41	0.01	3.48	0.38	92.57	0.39	96.05
14	बिहार	167.55	3.16	1.89	157.19	93.82	160.36	95.71
15	नागालैंड	3.64	0.14	3.82	3.23	88.87	3.37	92.69
16	लक्षद्वीप	0.13		0.00	0.12	91.39	0.12	91.39
17	सिक्किम	1.33	0.70	52.96	0.50	37.82	1.21	90.78
18	तमिलनाडु	125.28	21.76	17.37	88.94	71.00	110.71	88.37
19	महाराष्ट्र	146.81	48.44	32.99	80.94	55.13	129.38	88.13
20	उत्तर प्रदेश	267.29	5.16	1.93	228.84	85.62	234.01	87.55
21	त्रिपुरा	7.51	0.25	3.26	6.13	81.68	6.38	84.94
22	कर्नाटक	101.32	24.51	24.19	59.67	58.90	84.19	83.09
23	मेघालय	6.51	0.05	0.70	5.28	81.06	5.32	81.76
24	असम	72.25	1.11	1.54	57.65	79.78	58.76	81.32
25	जम्मू एवं कश्मीर	19.24	5.75	29.92	9.79	50.89	15.54	80.81
26	छत्तीसगढ़	50.04	3.20	6.39	37.01	73.96	40.21	80.35
27	मणिपुर	4.52	0.26	5.74	3.34	73.85	3.59	79.59
28	ओडिशा	88.70	3.11	3.50	64.66	72.90	67.77	76.41
29	आंध्र प्रदेश	95.53	30.74	32.18	39.71	41.56	70.45	73.74
30	मध्य प्रदेश	111.89	13.53	12.09	61.72	55.17	75.25	67.26
31	राजस्थान	107.77	11.74	10.89	47.87	44.42	59.61	55.31
32	झारखंड	62.56	3.45	5.52	30.74	49.14	34.19	54.65
33	पश्चिम बंगाल	175.57	2.15	1.22	93.37	53.18	95.51	54.40
34	केरल	70.80	16.64	23.51	21.75	30.73	38.39	54.23
	कुल	**19,36.93**	**3,23.63**	**16.71**	**12,20.99**	**63.04**	**15,44.62**	**79.75**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस